

सं० 27/14/2012-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 जून, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय, देहरादुन
उत्तराखण्ड ।

18 JUN 2013


विषय:- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्रीमती कमला पाण्डे, हवलदार प्रशिक्षक का उत्तराखण्ड राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती कमला पाण्डे, हवलदार प्रशिक्षक से उत्तराखण्ड राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 15.01.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती पाण्डे उत्तराखण्ड के मूल निवासी तथा विकल्प-धारी हैं । महिला कार्मिक विकल्पानुसार राज्य आवंटन के पात्र होने के नाते समिति द्वारा श्रीमती कमला पाण्डे, हवलदार प्रशिक्षक का राज्य पुनरावंटन उनके विकल्प के आधार पर उत्तराखण्ड करने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमती कमला पाण्डे, हवलदार प्रशिक्षक, जिला होमगार्ड कार्यालय, मुजफ्फर नगर का राज्य पुनरावंटन उत्तराखण्ड राज्य के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित की जाएगी ।



भवदीय,
[Signature]
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, होम गार्ड, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. प्रमुख सचिव, होम गार्ड, उत्तराखण्डशासन, सचिवालय, देहरादुन ।
4. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादुन ।